न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—24 / 2021 (2021 / 52) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—भैरूलाल पिता घीसा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—भैरूलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—उदयलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—सोहनलाल पिता दयाराम गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—बालु पिता सुरजमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—गिरधारी पिता गोकल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—भुरा पिता हजारी गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—कैलाश पिता रायमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह.रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—रोशनलाल पिता रायमल गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास)तह.रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लादुलाल पिता हजारी गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—मियाराम पिता छोगा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—देवीलाल पिता उदा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
12—अम्बालाल पिता उदा गुर्जर निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
13—उंकारसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह. रायपुर
14—गिरधारीसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवा.तोलासकाखेड़ा(तोलास) तह.रायपुर जि. भीलवाड़ा
15—महेन्द्रसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवा. तोलासकाखेड़ा (तोलास) तह.रायपुर जि. भीलवाड़ा
16—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांकः—03.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम तौलास (आशाहोली) तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 564 / 1 रकबा 0.53 है0 दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज भूमियों की पत्थरगढ़ी हेतु एक आवेदन न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 14.03.2019 को पत्थरगढ़ी हेतु आदेश जारी किया गया जिसके प्रकरण संख्या 11 / 2019 हैं। आदेश की प्रति पालनार्थ हेतु पटवार हल्का व भू—अभिलेख निरीक्षक को भिजवाई गई जिस पर उनके द्वारा दिनांक 04.06.2020 मौके पर मुझ प्रार्थी की आराजी संख्या 564 / 1 की पत्थरगढ़ी की गई। जिसमें विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 का 0.08 हैक्ट भूमि लगभग पर कब्जा पाया गया। तथा विपक्षी संख्या 13 लगायत 15 का 0.10 हैक्ट. [illegible] तक विपक्षीगण का मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा पाया गया। प्रमाण में [illegible] दिनांक 04.06.2020 की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। [illegible] काश्त की उक्त भूमि में विपक्षीगण को अवैध कब्जा करने का कोई विधिक अधिकार [illegible] नहीं हैं। मुझ प्रार्थी ने उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी होने के बाद विपक्षीगण [illegible] को हटाने बाबत् [illegible] उन्होंने अवैध कब्जा हटाने से मना कर दिया। तथा सभी ने संगठन बनाकर मेरी भूमि में [illegible] पत्थरगढ़ी के सरकारी निशानात को भी उखाड़ कर फेंक दिये तथा पक्का निर्माण करने की धमकिया दी। इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:39 IST
Reason: SelfAttested

गरज की पालना में विपक्षीगण ने मेरी भूमि के रकबे पर जबरन जेसीबी चलाकर आनन फानन में सीमेंट के पीलर व तारबंदी कर दी। विपक्षीगण मरने मारने की धमकिया देने लग गये जिससे प्रार्थी द्वारा वाद पत्र बेदखली की डिक्री जारी फरमाई जाने का एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाने हेतु पेश किया है। जबरन ताकत के बल पर सगंठन बनाकर वादी की भूमि में अवैध रूप से तारबन्दी कर दी जिसके फॉटोग्राप्स पेश है एवं विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को विक्रय करने की धमकी दी है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है तथा भूमि प्रार्थी की रेकार्डेड खातेदारी है जिस पर विपक्षीगण द्वारा अवैध निमार्ण करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आकलन नकदी में नही किया जा सकेगा। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद इस आशय की फरमाई जावें कि राजस्व ग्राम तोलास पटवार मण्डल आशाहोली तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 564 / 1 रकबा 0.53 हैक्ट, भूमि में प्रार्थी के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें। तथा न ही स्थाई एवं पक्का निर्माण करावें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 22.02.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 14 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 15 फौरमल पक्षकार है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई —

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 564 / 1 रकबा 0.53 है0 भूमि पर जबरन ताकत के बल पर विपक्षीगण कब्जा करना चाह रहे एवं जेसीबी से पक्की दीवार करने पर आमाद है। विपक्षीगण प्रार्थी को संगठन बनाकर बेदखल करना चाह रहे है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थी विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जावे।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि इस प्रकरण में दिनांक 22.02.2021 को इस न्यायालय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसे कन्फर्म किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर बहक प्रार्थी विरूद्व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 15 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम तोलास पटवार मण्डल आशाहोली तहसील रायपुर की बैरून हल्का आबादी में स्थित वादग्रस्त आराजी संख्या 564 / 1 रकबा 0.53 हैक्ट, भूमि में प्रार्थी के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें। तथा न ही स्थाई एवं पक्का निर्माण करावें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:39 IST
Reason: SelfAttested

03.08.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा